अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

टैगोर छात्रावास क्रमांक–टी2, प्रथम तल, श्यामला हिल्स, दूरदर्शन रोड, भोपाल–462002
फोनः– 0755–2660441 ईमेलः–dte.helpcenter@mp.gov.in

बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी/इंजीनियरिंग(बी.टेक./बी.ई.) पाठ्यक्रम में अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों (NRI CANDIDATES)के लिये काउंसलिंग कार्यक्रम एवं प्रवेश प्रक्रिया.

सत्र 2021–22

मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र 266 दिनांक 19 मई, 2011 में प्रकाशित "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011(Admission (Reservation to non-resident Indian in AICTE Approved Courses) Regulations, 2011) के आधार पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों में एनआरआई सीटों पर प्रवेश हेतु अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। काउंसलिंग की समय सारणी एवं प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

//समय–सारणी//

क्रमांक	गतिविधियाँ	दिनांक/समय
1.	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना होगा।	23/09/2021 से 25/09/2021 तक
2.	दस्तावेजों का सत्यापन, संस्था/ब्रांच का आवंटन एवं प्रवेश Documents Verification, Allotment Of Institution/ Branch/ Admission) (बी.टेक./बी.ई. पाठ्यक्रम के लिये)	27/09/2021 (प्रातः 11:30 बजे) कार्यालय अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, टैगोर हॉस्टल परिसर, श्यामला हिल्स, भोपाल में उपस्थित होकर

1. ऑनलाइन पंजीयन (Online Registration)

पंजीयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी–

- एनआरआई सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये वेबसाइट में उपलब्ध संबंधित पाठ्यक्रम में जाकर ऑनलाईन पंजीयन/आवेदन करना होगा।
- ऑनलाईन पंजीयन हेतु पंजीयन शुल्क रु 5100/– (पोर्टल चार्जेस रु 100 सहित) देय होगा, जिसका भुगतान **इंटरनेट बैंकिंग /डेबिट/क्रेडिट कार्ड या एम.पी. ऑनलाइन के कियास्क पर नगद भुगतान** से किया जा सकता है।
- पंजीयन शुल्क के भुगतान उपरांत ही उम्मीदवार को शुल्क भुगतान की रसीद तथा भरे गये विवरण का प्रिंटआउट प्राप्त होगा। अतः शुल्क भुगतान उपरांत ऑनलाईन रसीद अवश्य प्राप्त कर लेंवे।

2. **दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)**:–समय सारणी में दिये गये अनुसार निर्धारित तिथि को कार्यालय अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, टैगोर हॉस्टल परिसर, श्यामला हिल्स, भोपाल में उपस्थित होकर अभ्यर्थी को अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा।

एनआरआई सीटों पर प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा :–

(क) अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, यदि बोर्ड/विश्वविद्यालय, जिससे अभ्यर्थी ने अपनी अर्हकारी परीक्षा, ग्रेड पद्धति में उत्तीर्ण की है तो ग्रेड से प्रतिशत अंकों के संपरिवर्तन का फार्मूला लागू होगा, यह फार्मूला भारतीय दूतावास/उस देश के भारतीय वाणिज्यिक दूतावास द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक होगा, अभ्यर्थी, जिसने भारत से भिन्न किसी देश से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसे भारतीय दूतावास/भारतीय वाणिज्यिक दूतावास या भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ (एसोसिएशन), नई दिल्ली से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है कि उत्तीर्ण की गई परीक्षा भारतीय पद्धति की संबंधित अर्हकारी परीक्षा के समतुल्य है;

(ख) राष्ट्रीयता का सबूत;

(ग) भारतीय दूतावास से या उस देश के भारतीय वाणिज्यिक दूतावास से, जहाँ अनिवासी निवास कर रहे हैं, इस आशय का प्रमाण–पत्र कि अभ्यर्थी के माता या पिता अनिवासी भारतीय हैं; अथवा अनिवासी भारतीय के पासपोर्ट की मूल प्रति अथवा भारतीय दूतावास या उस देश के भारतीय वाणिज्यिक दूतावास द्वारा पासपोर्ट के सम्पूर्ण पृष्ठों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जहाँ अनिवासी भारतीय माता–पिता निवास कर रहे हैं;

(घ) माता/पिता द्वारा अपने पुत्र/पुत्री को अनिवासी भारतीय श्रेणी में प्रायोजित किये जाने हेतु नोटरी द्वारा दिया गया शपथ–पत्र ;

(ङ) अभ्यर्थी द्वारा स्व अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ;

शिक्षण शुल्क :–

- ✓ एनआरआई सीटों के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क की राशि US $ 3,000/- प्रतिवर्ष निर्धारित है।
- ✓ काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये आंशिक शिक्षण शुल्क रु 75000/– (पच्चहत्तर हजार रूपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जोकि **"आयुक्त तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश"** के नाम से तथा भोपाल में देय हो, सत्यापन के दौरान उपरोक्त दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

टीपः–1) मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस कर दिये जावेंगे।

2) प्रवेश हेतु पात्र (Eligible) उम्मीदवों को मेरिट के अनुसार संस्था/ब्रांच का आंवटन किया जावेगा।

3) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एनआरआई सीटों पर प्रवेश के लिये "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011" के अनुसार जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है, अनिवार्यतः प्रस्तुत करें। निर्धारित दस्तावेजों के अभाव में उम्मीदवार को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी तथा उसे संस्था/ब्रांच के आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

3. संस्था/ब्रांच का आंवटन(Allotment Of Institution/Branch)

- दस्तावेजों के सत्यापन के तुरंत बाद उम्मीदवारों को आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावेगा तथा पाठ्यक्रमवार उनके मेरिट अनुसार संस्था/ब्रांच का आवंटन किया जावेगा।
- उम्मीदवारों को उनकी मेरिट के अनुसार बुलाया जावेगा तथा चाहे अनुसार उपलब्ध संस्था/ब्रांच का आवंटन किया जावेगा।
- आवंटन उपरांत उम्मीदवार को आवंटन पर्ची (Allotment Slip) जारी की जावेगी।

4. आवंटित संस्था में उपस्थिति तथा प्रवेश (Reporting and Admission at Alloted Institute)

आवंटन के बाद अभ्यर्थी को तीन दिन में आवंटित संस्था में अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्र तथा आवश्यक अन्य शुल्क के साथ उपस्थित होना होगा, उम्मीदवार संस्था में रिपोर्ट करने के उपरांत संस्था की प्रवेश–पर्ची अवश्य प्राप्त करें।

महत्वपूर्ण टीपः–

- एनआरआई सीटों पर प्रवेश के लिये "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011" (Admission (Reservation to non-resident Indian in AICTE Approved Courses) Regulations, 2011) वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार ऑनलाईन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इन विनियमों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें तथा पात्रता संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखें। दस्तावेजों के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि वे अपने अर्हकारी परीक्षा एवं अन्य योग्यता प्रवेश हेतु पूर्ण करते हैं। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने मिथ्या या गलत सूचना के आधार पर या संबद्ध तथ्यों को छुपाकर प्रवेश लिया है या प्रवेश के बाद किसी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी को प्रवेश किसी भूल या अनवेक्षा के कारण दे दिया गया है तो उसके अध्ययन के अनुक्रम के दौरान ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश बिना कोई सूचना दिये संस्था प्रमुख या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस समय रद्द कर दिया जाएगा
- प्रत्येक स्तर पर भुगतान किये गये शुल्क तथा विभिन्न स्तर पर की गई कार्यवाही का प्रिंटआउट अवश्य प्राप्त कर लें तथा अपने पास संदर्भ के लिये सुरक्षित रखें।

प्रवेश नियम, एनआरआई हेतु अंतरिम सीटों का विवरण, संस्थानों के विवरण, काउंसलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत सहायता केन्द्रों आदि की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

शुल्क के विवरण हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश भोपाल की वेबसाइट www.afrcmp.org पर देखें।

वेबसाइट dte.mponline.gov.in संपर्क–(0755) 6720205, 2660441, ईमेलः–dte.helpcenter@mp.gov.in

सही/–

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति

एवं आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

CHAIRMAN COUNSELLING COMMITTEE AND DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MADHYA PRDESH
Tagore hostel number-T2, Shyamla Hills, Doordarshan Road, Bhopal-462002
Phone 0755-2660441 Email:-dte.helpcenter@mp.gov.in

Counselling Schedule and Admission Process, For Non-Resident Indian (N.R.I. Candidates) in Bachelor of Technology/Engineering (B.Tech./B.E.) Courses Session 2021-22

*Online application are invited for admission in above **courses f**or Non-Resident Indian Candidates against the N.R.I. Seats on the basis of Admission Regulation, 2011 published in MP Govt. Gazette Notification 266 dated 19 May,2011 (Reservation for N.R.I. in AICTE Approved Courses).*

Time Table

S.No.	Activity	Scheduled Dates
1.	Online application is to be submitted	23/09/2021 To 25/09/2021
2.	Documents Verification, Allotment of Institution/Branch & Admission (B.Tech./B.E. Course)	27/09/2021 (11:30 am) Appearing at Office of the Chairman Counselling Committee, Tagore Hostel Campus, Shyamla Hills, Bhopal

1. Online Registration

Procedure for Registration-

- Candidates who are desirous to participate in the counseling have to register/apply on **dte.mponline.gov.in**
- The Registration Fee payable is Rs. 5,100/-(Non-Refundable fee including Portal Charges of Rs. 100/-). Payment can be made through **Net banking/Debit Card/ Credit Card and Cash payment at Mponline Kiosk**
- Print out of payment receipt and detail filled by the Candidate can only be obtained after the payment of the Registration fee.

2. Document Verification

Candidates have to appear in person as per schedule for document verification at Office of the Chairman Counselling Committee, Tagore Hostel Campus, Shyamla Hills, Bhopal.

Candidates interested in seeking admission against non-resident Indian Seats, shall be required to verify following documents:-

(a) Mark sheet of qualifying examination. If the Board/University from which Candidate has passed his qualifying examination award marks in grade system, then the formula for conversion of grade into percentage marks shall apply. This formula should be certified by Indian Embassy/Indian consulate of that country. Candidates who have passed the qualifying examination from a country other than India are required to submit a certificate from the Indian Embassy/Indian consulate or Association of Indian Universities, New Delhi to the effect that the examination passed in equivalent to respective qualifying examination of Indian system.

(b) **Proof of nationality.**

(c) Certificate from Indian Embassy or Indian consulate of the country where non-resident Indian is residing to the effect that father/mother is non-resident Indian, or original passport of non-resident Indian or true copy of pages of passport certified by Indian Embassy or Indian consulate of the country, where non-resident Indian mother/father is residing.

(d) Notarized affidavit of mother/father sponsoring their son/daughter under non-resident Indian category.
(e) Two passport size self attested photographs of the candidate.

Tuition Fee:-

- Tuition Fee prescribed for N.R.I. Seats is US $ 3,000/- per annum.
- To participate in the Counselling a Demand draft of Rs. 75,000/- (Rupees Seventy Five Thousand Only) in favor of **"Commissioner of Technical Education, M.P."**, Payable at Bhopal, is to be submitted as part payment of tuition fee.

Note:- (1) Original documents shall be returned after verification
(2) Branch/Institute will be allotted to the eligible candidates according to their merit.
(3) It is advised to the candidates that they should necessarily produce the required documents according to "Admission (Reservation to N.R.I. in AICTE approved courses) Regulation, 2011" for admission to N.R.I. Seats. If the candidate is unable to produced required document then he/she will not be eligible for admission and will not be included in Branch/Institute allotment process.

3. Allotment of Institution/Branch

- Candidate will be included in the allotment process just after the document verification. And Institute/Branch will be allotted to them according to their merit as per their course.
- Candidates will be called according to the merit and Institute/ Branch will be allotted according to the availability and their merit.
- Allotment slip will be issued to the candidate after allotment.

4. Reporting at Allotted Institute

Candidate has to report in allotted Institution **within three days after allotment** along with all original documents and required other fees. Candidate should take admission slip from admitted Institution.

Important Note:-

- For Admission in N.R.I Seats "Admission (Reservation to N.R.I in AICTE approved Courses) Regular, 2011" Is available on website. Candidate should study these regulations minutely before participating in the online counseling and be ready with all eligibility related required documents. Without relevant document Candidate will not be considered for admission.
- Candidates should ensure that they have the eligibility and qualification required for the admission. If at any stage it is found that the candidate had taken admission on the basis of the wrong/untrue information or hide the facts, or after admission at any time it is found that admission to the candidate is provided due to negligence or mistake, then after during sequential study admission of all such candidates will be cancelled without prior information by the Head of the Institution or competent authority.
- Candidate should keep print outs of all the proceedings and the payment made by them at all stages and for further reference keep it safe.

Information about Admission rules, Final seats for NRI, Institutions detail, Authorize help center will be available at counseling website **dte.mponline.gov.in**.

Tuition-Fee details will be available at Admission and Fee Regulation Committee (AFRC) website **www.afrcmp.org .**

Website: dte.mponline.gov.in, **Contact no: (0755) 6720205, 2660441, Email:-dte.helpcenter@mp.gov.in**

SD/-
Chairman Counselling Committee &
Commissioner, Technical Education,
Madhya Pradesh